न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 108 / 2016

1 उमाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बजाड़ान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 रामेश्वरलाल पुत्र जोधाराम।
2 पतासी बेवाह जोधाराम।
3 छोटी देवी पत्नी रामेश्वरलाल।
4 परमेश्वरी पत्नी उमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बजाड़ान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड नेछवा जिला सीकर।
6 कनिष्ठ अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड नेछवा जिला सीकर।
7 अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सीकर।
8 चैयरमैन अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर।
9 पटवारी हल्का भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 उप पंजियक महोदय नेछवा जिला सीकर।
11 नायब तहसीलदार नेछवा जिला सीकर।
12 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016
न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़
प्रकरण अनुवानी उमाराम बनाम रामेश्वर आदि दावा
संख्या 14/2016 दावा स्थाई निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत
धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 03.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 1/1,59/1,1/2,56/1,58/1 तन ग्राम ढ़ाणी बजाड़ान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्त की भूमि होने का कथन कर इस भूमि में अकेले प्रतिवादी के नाम विधुत सम्बंध नही देने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की और से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आदेश 7 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि शामलाती है, विधुत सम्बंध शामलाती था बकाया के कारण विधुत सम्बंध काट दिया गया। बंटवारे का दावा विचारण न्यायालय में विचाराधीन है विचारण न्यायालय ने दोनों दावों को समैकित किये बिना गलत रूप से आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वादी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज कर दिया है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अलग टयूबवैल बना लिया है शामलाती बिजली बिल का भुगतान नही किया है अत विधुत सम्बंध विच्छेद कर दिया गया। अपीलांट का सिविल न्यायालय में दावा टी. आई. खारिज हो चुका है। अपीलांट स्वंय दुसरे विधुत सम्बंध से सिंचाई कर रहा है। अपीलांट ने सिविल न्यायालय के तथ्य को छिपाकर विचारण न्यायालय को मुगालते में रखकर स्थगन प्राप्त किया था। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अलग टयूबवैल बना लिया है शामलाती बिजली बिल का भुगतान नही किया है अत विधुत सम्बंध विच्छेद कर दिया गया। अपीलांट का सिविल न्यायालय में दावा टी.आई. खारिज हो चुका है। अपीलांट स्वंय दुसरे विधुत सम्बंध से सिंचाई कर रहा है। अपीलांट ने सिविल न्यायालय के तथ्य को छिपाकर विचारण न्यायालय को मुगालते में रखकर स्थगन प्राप्त किया था। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा पूर्व में दिनांक 27.07.2015 को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद व टीआई पेश किये थे जिसे दिनांक 29.01.2016 को विड्रा कर चुका है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वर लाल द्वारा जिला फोरम उपभोक्ता विवाद निवारण, सीकर में एक परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विधुत निगम के विरूद्व पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 19.02.2016 को प्रार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में जारी कर 15 दिन के भीतर विधुत खाता संख्या 2125–1801–0327 चालू करने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश की कियान्विति रोकने हेतु वादी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 24.02.2016 को दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं टीआई प्रार्थी/प्रतिवादी व अन्य विधुत निगम के विरूद्व पेश कर एकपक्षीय स्थगन प्राप्त किया गया। इसके पश्चात प्रकरण को लम्बित रखने के उदेश्य से मुन्तकिली आवेदन भी वादी द्वारा माननीय जिला कलेक्टर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश किये गये। चूंकि उक्त प्रकरण सिविल नेचर का है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर